न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 149/2015
प्रविष्टि दिनांकः— 23.11.2015

1.रामधन पुत्र कूरा
2.जुगराज सिंह पुत्र पन्ना
3.जयसिंह पुत्र पन्ना
4.सुगना पुत्र बजरंगा
5.राधाकिशन पुत्र बजरंगा
6.दुर्गालाल पुत्र बजरंगा
7.रामनारायण पुत्र बजरंगा
8.अर्जुन सिंह पुत्र बजरंगा
9.दुर्गालाल पुत्र बाबूलाल
10. शौराज पुत्र केसरलाल
11. रामरतन पुत्र केसरलाल
12. गंगासिंह पुत्र केसरलाल
13. लेखराज पुत्र केसरलाल
14. लालाराम पुत्र केसरलाल समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज0।

..... प्रार्थीगण

ब्नाम

1.श्योजी पुत्र काना
2.राकेश पुत्र श्योजी
3.राजी पत्नी राकेश
4.रोशन पुत्र श्योजी
5.राजेश पुत्र श्योजी
6.कैलाशी पत्नी श्योजी समस्त जातियान मीणा निवासियान राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज0
7.तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

..... प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक.. प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 05.07.2018

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सिवायचक भूमि खसरा नं0 1100, 1102, 1103, व 1110 वाके ग्राम राजकोट तहसील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

देवली जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी के पास ही स्थित है, पर से अप्रार्थी सं0 1 ता 6 का अवैध कब्जा हटाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेतो में आने जाने के लिए रास्ते को खुलवाये।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई एवं प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी तहसीलदार देवली से मंगवाई गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश की है। अप्रार्थीगण व उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी भूमि खसरा नं0 2517 रकबा 0.32, ख0नं0 2518 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 2521 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 2522 रकबा 0.44 ख0नं0 2523 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 1093 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 1094 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 1096 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1097 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1065 रकबा 3. 21 है0, वाके ग्राम राजकोट तहसील देवली के खातेदार काश्तकार होकर काबिज है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के पास में ही आराजी खसरा नं0 1100, 1102, 1103, व 1110 सिवायचक स्थित है जो रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त सिवायचक भूमि में से अपने गांव से अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में खेतो में आते जाते है तथा ट्रोली में भरकर अपनी कृषि यंत्र लाते ले जाते है, इस सिवायचक भूमि में रास्ता बना हुआ है जो नक्श की छाया प्रति से सिद्व है, उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से यानि 50–60 वर्षो से निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है, अप्रार्थीगण का इस सिवायचक भूमि से किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त सिवायचक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, कदीमी रास्ते पर भी अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया है तथा रास्ते की भूमि सिवायचक पर अप्रार्थीगण ने फसल काश्त भी कर ली है। तहसीलदार देवली व उपखण्ड अधिकारी को उक्त किये गये अतिक्रमण हटाने व रास्ता खुलवाने का निवेदन करने पर भी अप्रार्थीगण सं0 1ता6 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे प्रार्थीगण का उसके खेतो में जाना दुभर हो गया। अतः उक्त सिवायचक भूमि पर से अवेध कब्जा हटाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेतो में आने जाने के लिए बने रास्ते को खुलवाने का आदेश फरमाये।

4. तहसीलदार देवली से प्राप्त टिप्पणी अनुसार आवेदकगणो द्वारा विपक्षी सं0 7 के यहां उक्त रास्ते को खलवाने के लिए कई बार लिखित रूप से निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह गलत है क्योकि रास्ते के संबंध में कार्यवाही किये जाने से ही रास्ते को लेकर समझौता हुआ व रास्ते संबंधी कार्यवाही हुई जिससे प्रार्थीगण आ जा रहे है व अपनी भूमि पर काश्त कर पा रहे है।

5. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना व उस मनन किया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 54 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो उक्त धारा के अन्तर्गत नही आता है क्योंकि धारा 54 राज0ले0एक्ट में यह उल्लेख है कि " कोई कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, भूमि अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धा के अधीन या अन्यथा उत्पन्न होने वाले

सत्यापित जिला कलेक्टर

किसी भी मामले या मामलो के वर्ग को अपनी स्वयं की फाइल (मिसल) से अपने किसी भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के जो ऐसे मामले या मामलो के वर्ग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में सक्षम हो जॉच के लिए या विनिश्चय के लिए हवाले कर सकेगा अथवा किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे किसी राजस्व अधिकारी से प्रत्याहत कर सकेगा और ऐसे मामले या मामलो के वर्ग के संबंध में कार्यवाही कर सकेगा अथवा उसे, उसके सम्बन्ध में किसी भी अन्य राजस्व अधिकारी को निपटारे के लिए हवाले कर सकेगा''। उक्त धारा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र इस धारा के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज0)